न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

र्थनापत्र संख्या 25/13 तारीख रजू– 07/10/2013

कार जरिये तहसीलदार,बामनवास। ––प्रार्थी

बनाम

जरंगलाल पुत्र गोल्या जाति माली निवासी डाबर तहसील बामनवास। ––अप्रार्थी

निर्णय दिनांक–11/01/2016

यह रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 12/06/13 से अप्रार्थी को र आवंटन की अनियमितता की वैद्यता की जॉच कर आवंटन एवं नामान्तरकरणो का परीक्षण करने एवं रीक्षण के पश्चात अपनी राय व्यक्त कर रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु प्राप्त हुआ है।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई व आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा नामान्तरकरण मे हुई अनियमितता की टिप्पणी अदालत मातहत से तलब की गई। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई ई व पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस मे बताया कि तहसीलदार बामनवास ने ग्राम ताजपुरा के खसरा नम्बर 15 रकवा 0.33 हैक्टर, 16 रकवा 0.39 हेक्टर कुल किता 2 रकवा 0.72 हेक्टर के बारे मे रेफरेन्स प्रस्ताव भेजा था कि साविक खसरा नम्बर 1 रकवा 45 बीघा 16 बिश्वा गेर मुमकिन नदी खतोनी बन्दोबस्त मे संवत 2003 से 2022 मे दर्ज था जिसके हाल खसरा नम्बर 15 व 16 बने है जो गलत तौर से आवंटित कर दिये है जबकि यह खसरा नम्बर नदी की भूमि थी। बंदोबस्त ने गलत तौर पर किस्म बारानी दर्ज करदी गई इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 70/06 निर्णय दिनांक 26/07/06 से रेफरेन्स राजस्व मण्डल को भेजा था। राजस्व मण्डल ने रेफरेन्स के संबंध मे आदेश पारित किया कि उक्त भूमि आवंटित की गई है तथा आवंटन का कोई रिकार्ड पत्रावली मे शामिल नही है। अब्दुल रहमान प्रकरण के निस्तारण मे एस.बी. सिविल याचिका संख्या 11153/11 उनवानी सुओमोटो बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान मे 29/05/12 को पारित निर्णय मे विस्तृत तौर से यह कहा है कि धारा 16 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विरूद्व किये गये आवंटनो की निरस्ती की कार्यवाही की जानी चाहिये। उक्त निर्देशो के साथ राजस्व मण्डल ने रेफरेन्स एल.आर/7178/2006 जयपुर सरकार बनाम बजरंगलाल इस न्यायालय को लोटाया है।

अतः उक्त आवटन आदेशो को निरस्त करने के लिए प्रार्थनापत्र पेश किये जाने चाहिये। अतः तहसीलदार,बामनवास उक्त आवंटनो को निरस्त कराने की कार्यवाही करावे।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर